रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

loo

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1427] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934	सं. 1427]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934
	No. 1427]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

का.आ. 1726(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (5) के खंड (ख) की मद (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम त्यागी, सचिव, लक्ष्मीजन कल्याण सेवा संस्थान, मुराद नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, , अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (xiii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

"(xiii) कृषि क्रियाकलापों से सहबद्ध किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला संगठन से एक प्रतिनिधि :

श्रीमती नीलम त्यागी, सचिव, लक्ष्मीजन कल्याण सेवा संस्थान, मुराद नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश —सदस्य"।

[फा. सं. 2-3/2009-एसडी. वी]

डा. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना तारीख 11 नवम्बर, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1589(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1883(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2006, संख्यांक 1316(अ), तारीख 11 मई, 2009 और संख्यांक का.आ. 3064(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित की गई।

RG 2845GI/2012 (1)14/8

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-Operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31th July, 2012

S.O. 1726(E).—In exercise of the powers conferred by item (xiii) of clause (b) of sub-section (5) of Section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby nominates Smt. Neelam Tyagi, Secretary, Laxmijan Kalyan Seva Sansthan, Murad Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh as a member of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority and for that purposes makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1589(E) dated the 11th November, 2005, namely:—

In the said notification, for item, (xiii) and the entries relating thereto, following shall be substituted namely:---

"(xiii) One representative from a National or State level women's organisation associated with agricultural activities:

Smt. Neelam Tyagi, Secretary, Laxmijan Kalyan Seva Sansthan, Murad Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-

Member".

[F. No. 2-3/2009-SD.V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th November, 2005, *vide* No. S.O. 1589(E), dated 11th November, 2005 and subsequently amended *vide* No. S.O. 1883(E), dated 1st November, 2006, No. S.O. 1316(E), dated 11th May, 2009 and No. S.O. 3064(E), dated 30th November, 2009.